भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3390
12.07.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध

3390. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में प्लास्टिक कैरी बैगों और अन्य सामग्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन नहीं किया जा रहा है और प्लास्टिक कचरे का खतरा कई गुणा बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिबंध को सख्ती से लागू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारत को एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए क्या व्यापक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) 18 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने प्लास्टिक कैरी बैगों और/ या अन्य एकल उपयोग की प्लास्टिक मदों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के संबंधित विनियमों को लागू करने के लिए अधिसूचनाएं/ आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 5 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 50 माइक्रोन मोटाई से कम के प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रितबंध लगाया है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने वर्ष 2012 में प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था। तथापि, अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय में रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले पर रोक लगा दी और इस मामले को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को स्थानांतरित कर दिया। माननीय एनजीटी ने एक अंतरिम आदेश जारी करके 50 माइक्रोन मोटाई से कम के सभी प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया।

(ग) सरकार ने प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया। नियमों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे के उत्पादनकर्ताओं के लिए यह अधिदेशित किया गया कि वे प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्सर्जन को कम करें, प्लास्टिक कचरे को इधर-उधर न फैलाएं, स्रोत पर ही कचरे को अलग-अलग भण्डारित करना सुनिश्चित करें और अलग किए गए प्लास्टिक कचरे को स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को सौंप दें। नियमावली में स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, कचरे के उत्पादनकर्ताओं, रिटेलर और कबाड़ियों द्वारा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियों को भी अधिदेशित किया गया है। नियमावली में उत्पादनकर्ताओं, आयातकों और ब्रेण्ड मालिकों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के सिद्धान्त पर आधारित कचरा संग्रहण प्रणाली के लिए कार्य विधियां बनाने के लिए अधिदेशित किया गया है।

इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वर्ष 2022 तक सभी प्रकार के एकल-प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भारत की प्रतिज्ञा की घोषणा की है। इस संबंध में मंत्रालय ने केंद्र सरकार और इसके विभागों, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कारपोरेट्स इत्यादि के कार्यालयों को दिशानिर्देश और लिखित पत्र जारी किए हैं कि वे अपने कार्यालयों में एकल-प्रयोग प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग न करें।

******